

अंचल अधिकारी तोप चौधरी का कार्यालय

अभिलेख संख्या- 52 (X) 16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016
समर्पित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985
एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित
निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच
प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया
गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- पाथर चपरा थाना- 152 खाता संख्या- 47 प्लॉट संख्या-
549 रकबा- 60 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार
(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11
के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 82, पर जमाबंदी रैयत झारखंड सरकार
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की
भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत
होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के
आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से
संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें,
कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया
जाय।

अभिलेख दिनांक- 26.9.2016 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

9.9.16

प्रतिवादी द्वारा
सर्वेक्षण के सन्दर्भ में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
जिस सन्दर्भ में अभिलेख द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति
को अभिलेख में संज्ञा है, लगान वर्ष — तक भुगतान किया गया है।

मौजा- पायरपरा थाना नं० 152 खाता नं० 47
प्लॉट नं० 549 रकबा 60.87 कुल 60.87

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर
सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:-


1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात ~~नहीं~~ होने से इंकार किया है।


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अतः मौजा-पायरपरा थाना नं० 152 खाता नं० 47
प्लॉट नं० 549 रकबा 60.87 कुल 60.87 धूर, कुल 60.87 धूर, भूमि
जो प्रतिवादी साई सांफा के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड)
भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की
अनुशंसा की जाती है।

तदनुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


7/8/20
अंचल अधिकारी
तोपचौची।


अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- मांस शांशी पिता उबू भंक्षी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-
 मौजा बाचलपरा थाना सं० 152 खाता सं० 47 प्लॉट सं० 549 रकबा 6080
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं० 52 पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 88-89
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- मांश शांशी
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - गोसावन्त
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- गोसावन्त (33(x) 88-89)
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - 5.47 नदी)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -
 क्र० संख्या लगान रसीद संख्या रसीद निर्गत तिथि वसूली वर्ष

गोसावन्त
H.M. 4

गोसावन्त